

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2166
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

शिक्षा ऋणों के लिए राजसहायता

†2166. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा ऋणों के लिए कोई राजसहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो इन राजसहायताओं से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की राज्य-वार सूची क्या है;

(ख) शिक्षा के लिए वर्तमान बजट आवंटन कितना है;

(ग) क्या आवंटित बजट इंचियोन घोषणा के राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4-6 प्रतिशत के संस्तुत लक्ष्य से कम है तथा क्या कोई आवंटित निधि व्यपगत हो गई है; और

(घ) क्या वर्तमान आवंटन इंचियोन घोषणा के लक्ष्य से कम है और यदि हां, तो क्या सरकार की शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन के रूप में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के कम से कम 4 प्रतिशत हेतु अनुमोदन प्राप्त करने की कोई योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार शिक्षा ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (पीएम-यूएसपी सीएसआईएस) को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने पीएम-विद्यालक्ष्मी, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को अनुमोदित दी है, जिसमें 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, इस योजना में 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। दोनों योजनाओं के विस्तृत दिशा-निर्देश: <https://www.education.gov.in/scholarships-education-loan-4>. पर उपलब्ध हैं। पीएम-यूएसपी सीएसआईएस के तहत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या https://www.education.gov.in/parl_ques. पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ) शिक्षा समवर्ती सूची में है, और केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों सरकारें शिक्षा की जिम्मेदारी साझा करती हैं। अधिकांश शैक्षणिक संस्थान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में हैं। नवीनतम “शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण 2019-20 से 2021-22” के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (सभी मंत्रालयों और सभी विभागों) के लिए शिक्षा पर बजट व्यय 9.67 लाख करोड़ रुपये है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.12% है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का समर्थन किया गया है और इसे सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुँचाने की परिकल्पना की गई है। जहाँ तक शिक्षा मंत्रालय का मामला है, बजट आवंटन 93,224 करोड़ रुपये (2021-22) से बढ़कर 1,12,899 करोड़ रुपये (2023-24) हो गया है, जो लगभग 21.1% की वृद्धि है।
